अध्याय VIII: वस्त्र मंत्रालय

इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल लिमिटेड

8.1 सामरिक साझेदार की समूह कंपनियों को वस्त्र व्यापार कारोबार में अनुचित लाभ देने के कारण हानि

इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल लिमिटेड ने सामरिक साझेदार की समूह कंपनियों को अग्रिमों का अनियमित भुगतान किया और फैब्रिक ट्रेडिंग कारोबार के दौरान उनसे बिक्री आय को देरी से प्राप्त करने के लिए ब्याज का उदग्रहण नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹29.70 करोड़ के ब्याज की हानि हुई और ₹109.34 करोड़ की निधियां अवरुद्ध हुई।

इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल लिमिटेड (आईयूटीएमएल) को निजी भागीदारी के माध्यम से इंडिया यूनाइटेड मिल नंबर 1, एक रूग्ण इकाई, के पुनरुद्धार के लिए नेशनल टैक्स्टाइल कारपोरेशन (एनटीसी) की एक सहायक कंपनी के रूप में 13 नवंबर, 2007 को निगमित किया गया था। आईयूटीएमएल की 51 *प्रतिशत* शेयरहोल्डिंग एनटीसी द्वारा धारित की गई थी और शेष 49 *प्रतिशत* शेयरहोल्डिंग सामरिक साझेदार के पास दो संस्थाओं के माध्यम से थी अर्थात 29.40 *प्रतिशत* शेयरहोल्डिंग के साथ भास्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (बीआईएल) और 19.60 *प्रतिशत* शेयरहोल्डिंग के साथ भास्कर डेनिम लिमिटेड (बीडीएल)। आईयूटीएमएल के दिन-प्रतिदिन के कार्यचालन, संचालन और प्रबंधन को सामरिक साझेदार द्वारा नामित और आईयूटीएमएल के निदेशक मंडल (बीओडी) द्वारा नियुक्त किए गए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) द्वारा निष्पादित किया गया था।

निदेशक मंडल ने कपड़ा/वस्त्र संबंधी माल में व्यापार शुरू करने का निर्णय लिया (सितंबर 2008) और सीईओ को संबंधित पार्टियों सहित मान्यता प्राप्त पार्टियों के साथ लिखित संविदा करने के लिए प्राधिकृत किया और ऐसे नियमों और शर्तों पर जैसा कि सीईओ कंपनी के सर्वोत्तम हितों में उपयुक्त समझे अर्थात उचित सुरक्षा के साथ अधिमानतः उत्तर दिनांकित चैक और उचित लेनदेन दस्तावेजों के साथ। आईयूटीएमएल का ट्रेडिंग कारोबार ज्यादातर सामरिक साझेदार[1] की समूह कंपनियों तक ही सीमित था।

---

[1] ***सामरिक साझेदार की संबंधित पार्टियों/समूह कंपनियों से खरीद, कुल खरीद का 94 प्रतिशत थी जबकि सामरिक साझेदार की संबंधित पार्टियों/समूह कंपनियों को बिक्री अप्रैल 2016 से मार्च 2020 के दौरान सामरिक कुल बिक्री का 84 प्रतिशत थी।***

लेखापरीक्षा ने सामरिक साझेदार की समूह कंपनियों के साथ आईयूएमएल के ट्रेडिंग कारोबार में निम्नलिखित अपर्याप्तताओं को पाया:

i) निदेशकमंडल, आईयूटीएमएल के कारोबार की दिशा के संबंध में निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं था। शेयर सब्सक्रिप्शन और शेयरहोल्डर्स एग्रीमेंट[2] के खंड 6.4 (बी) के अनुसार आईयूटीएमएल को केवल मिल के मौजूदा कारोबार में शामिल होना चाहिए और ट्रेडिंग, विपणन, अनुसंधान एवं विकास, प्रदर्शनी आदि जैसी वस्त्र संबंधी गतिविधियों को करने के लिए एनटीसी के अनुमोदन की आवश्यकता थी। हालांकि, आईयूटीएमएल ने वस्त्र ट्रेडिंग गतिविधियों में प्रवेश करने के लिए एनटीसी से अनुमोदन नहीं लिया।

ii) आईयूटीएमएल ने अप्रैल 2016 से सितंबर 2018 के दौरान सामरिक साझेदार की समूह कंपनियों में से एक मेसर्स भास्कर एक्जिम लिमिटेड से ₹854.98 करोड़ के वस्त्र खरीदे और उसके बाद भास्कर एक्जिम लिमिटेड को कोई खरीद आदेश जारी नहीं किया। हालांकि, फरवरी से अप्रैल 2019 के दौरान, आईयूटीएमएल ने लिखित संविदा, प्रतिभूति और अग्रिम पर ब्याज की शर्तों के बिना भास्कर एक्जिम लिमिटेड को कुल ₹109.34 करोड़ (30 व्यक्तिगत भुगतान) के अग्रिमों का भुगतान किया। आईयूटीएमएल को न तो भास्कर एक्जिम लिमिटेड से सामग्री प्राप्त हुई है और न ही आज तक (मार्च 2021) अग्रिम और उस पर ब्याज की वसूली हुई है। इसके अलावा**,** शेयरधारकों के करार के अनुसार, सामरिक साझेदार की संबंधित पार्टियों को अग्रिम देने के लिए 'विशेष सहमति'[3] की आवश्यकता थी। हालांकि, आईयूटीएमएल द्वारा अग्रिम जारी करने के लिए ऐसी कोई विशेष सहमति प्राप्त नहीं की गई थी।

iii) आईयूटीएमएल के वस्त्र ट्रेडिंग कारोबार में 90 से 120 दिनों की क्रेडिट अवधि की अनुमति दी गई थी और भुगतान में किसी भी देरी के लिए किसी ब्याज का उदग्रहण नहीं किया गया था। अप्रैल 2016 से दिसंबर 2019 के दौरान समूह कंपनियों से बिक्री से होने वाली आय की प्राप्ति में 3 से लेकर 362 दिन तक की देरी हुई थी। आईयूटीएमएल द्वारा आपूर्तिकर्ताओं में से एक को भुगतान में देरी 1 से 148 दिनों तक थी। फिर भी, सामरिक

---

[2] ***एनटीसी, बीआईएल और आईयूटीएमएल के बीच निष्पादित किया गया (20 नवंबर 2007)***

[3] ***(i) एनटीसी और सामरिक साझेदार के सकारात्मक वोट द्वारा कंपनी के शेयरधारकों की बैठक में और (ii) एनटीसी के कम से कम एक नामित निदेशक और नीतिगतसाझेदार के एक नामांकित निदेशक के सकारात्मक वोट से बोर्ड की बैठक में, अनुमोदन।***

साझेदार की समूह कंपनियों के साथ ट्रेडिंग में विलंबित प्राप्तियों के परिणामस्वरूप अप्रैल 2016-दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान ₹15.30 करोड़ की निवल ब्याज की हानि हुई।

इस प्रकार, आईयूटीएमएल ने सामरिक साझेदार की समूह कंपनियों को अग्रिमों का अनियमित भुगतान किया और फैब्रिक ट्रेडिंग कारोबार के दौरान उनसे बिक्री आय की विलम्बित प्राप्ति के लिए ब्याज का उदग्रहण नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹109.34 करोड़ की अग्रिम राशि को अवरुद्ध करने के अलावा ₹29.70 करोड़ (₹14.40 करोड़ अग्रिम पर ब्याज + ₹15.30 करोड़ की बिक्री आय की विलम्बित प्राप्ति पर निवल ब्याज) की हानि हुई।

आईयूटीएमएल ने उत्तर दिया (जनवरी 2021) कि:

- वस्त्र सामग्री खरीदने और भविष्य की आपूर्तियों पर उचित लाभ अर्जित करने के इरादे से अग्रिम दिया गया था। जब आपूर्ति नहीं हो सकी तो कंपनी ने भास्कर एक्जिम लिमिटेड द्वारा निष्पादन न करने के कारण लाभ की हानि की मांग की और भास्कर एक्जिम लिमिटेड ने 2019-20 के दौरान ब्याज के माध्यम से इसकी क्षतिपूर्ति करने पर सहमति जताई और इसलिए कोई हानि नहीं हुई।

- अग्रिम की सुरक्षा के अभाव के संबंध में, आईयूटीएमएल ने उत्तर दिया कि समूह कंपनियों के साथ लेनदेन निदेशक मंडल की अनुमति लेने के बाद और सामरिक साझेदारों के मार्गदर्शन में किया गया था और किसी भी हानि को केवल सामरिक साझेदारों द्वारा पूरा किया जाएगा।

- बिक्री आय की विलंबित प्राप्ति पर ब्याज के संबंध में, आईयूटीएमएल ने उत्तर दिया कि जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा अधिदेशित किया गया था, कंपनी समूह कंपनियों के साथ 12.50 *प्रतिशत* प्रति वर्ष के बेंचमार्क लाभ पर ट्रेडिंग कारोबार कर रही थी, और इसलिए विलंबित प्राप्तियों/ भुगतान के लिए ब्याज नहीं लगाया गया था।

उपरोक्त उत्तर पर निम्नलिखित के प्रति विचार किया जाना है:

- हालांकि भास्कर एक्जिम लिमिटेड ने सूचित किया (मार्च 2020) कि वह आईयूटीएमएल को लाभ की हानि की क्षतिपूर्ति करेगा और इस मामले पर निदेशक मंडल द्वारा विचार-विमर्श किया गया, लेकिन भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2021)। आईयूटीएमएल ने स्पष्ट किया (लेखापरीक्षा प्रश्न का उत्तर देते समय) कि उन्होंने मौखिक

रूप से अग्रिम वापस करने की मांग की है, जो यह इंगित करता है कि अग्रिम की वापसी के लिए औपचारिक दावा अभी तक दर्ज नहीं किया गया है।

- निदेशक मंडल के अनुमोदन (सितंबर 2008) के अनुसार, संबंधित पार्टियों सहित ट्रेडिंग कारोबार उचित प्रतिभूति और उचित लेनदेन दस्तावेजों द्वारा समर्थित होना चाहिए। हालांकि, इस मामले में इनका पालन नहीं किया गया। लिखित संविदा और प्रतिभूति के अभाव में, आईयूटीएमएल के पास भास्कर एक्जिम लिमिटेड से राशि की वसूली करने के लिए कानूनी सहारा नहीं था। इसके अलावा, शेयरधारकों के करार में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि हानि को पूरी तरह से नीतिगत साझेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

- कारोबार पर बेंचमार्क लाभ और विलम्बित प्राप्तियों पर ब्याज दो भिन्न पहलू थे। इसके अलावा, क्रेडिट अवधि निर्धारित करने का तर्काधार विफल हो जाएगा यदि क्रेडिट अवधि से अधिक के लिये ब्याज नहीं लगाया गया था।

इस प्रकार, कंपनी ने सामरिक साझेदार की समूह कंपनियों को अपने सर्वोत्तम हितों के विरूध अनुचित लाभ दिया, जिससे ₹29.70 करोड़ के ब्याज की हानि हुई और ₹109.34 करोड़ की निधियां अवरुद्ध हुई।

लेखापरीक्षा पैराग्राफ अप्रैल 2021 में मंत्रालय को जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2021)।

नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

8.2 हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की वसूली न होना

नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महाराष्ट्र सरकार से एक बंद वस्त्र मिल से संबंधित 12 एकड़ भूमि सौंपने के लिए प्रतिफल के रूप में हस्तांतरणीय विकास अधिकार मिले, लेकिन हस्तांतरणीय विकास अधिकारों को बेचने और राशि के वसूली करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करने में विफल रही, जिससे ₹1,413 करोड़ की निधि का अवरोधन हुआ और परिणामी ब्याज की हानि हुई।

इंडिया यूनाइटेड मिल संख्या 6 मुंबई में स्थित नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीसी) की एक बंद वस्त्र मिल थी, जिसके पास लगभग 12 एकड़ भूमि थी। महाराष्ट्र सरकार (जीओएम) ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर के लिए स्मारक के निर्माण के लिए भूमि के हस्तांतरण के लिए भारत सरकार (जीओआई) से अनुरोध किया। एनटीसी को देय क्षतिपूर्ति

सहित भूमि के हस्तांतरण के लिए नियमों और शर्तों पर विचार-विमर्श किया गया और महाराष्ट्र सरकार का रुख यह था कि धनराशि के रूप में क्षतिपूर्ति करना मुश्किल होगा। महाराष्ट्र सरकार ने भूमि के मूल्य के लिए हस्तांतरणीय विकास अधिकार[4] के रूप में एनटीसी को क्षतिपूर्ति देने के लिए पेशकश की (मार्च 2016), जो ₹1,413 करोड़ बनती थी। महाराष्ट्र सरकार ने खुले बाजार में हस्तांतरणीय विकास अधिकार की बिक्री को सुगम बनाने की भी पेशकश की और यह कहा कि भूमि के निर्धारित मूल्य अर्थात् ₹1,413 करोड़ से अधिक प्राप्त धन महाराष्ट्र सरकार को दिया जाएगा और यदि प्राप्त धन मूल्य से कम था, तो इस अंतर का महाराष्ट्र सरकार द्वारा एनटीसी को भुगतान किया जाएगा। भारत सरकार ने इस पेशकश को स्वीकार किया (अगस्त 2016) और भूमि को हस्तांतरणीय विकास अधिकार[5] प्राप्त करने के बाद एनटीसी द्वारा मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) को सौंप दिया गया था (मार्च 2017)। हस्तांतरणीय विकास अधिकार ने महाराष्ट्र सरकार को 48,414.83 वर्ग मीटर (लगभग 12 एकड़) भूमि को सौंपने के लिए 1,30,720.04 वर्ग मीटर[6] के निर्मित क्षेत्र के लिए एनटीसी को विकास अधिकार प्रदान किए।

एनटीसी के निदेशक मंडल (बीओडी) ने 29 सप्ताह के भीतर यानी अगस्त 2018 तक बिक्री प्रक्रिया को पूरा करने के अधिदेश के साथ हस्तांतरणीय विकास अधिकार की दक्ष, प्रभावी और पारदर्शी बिक्री के लिए एक समिति का गठन किया (जनवरी 2018)। विपणन सलाहकार की नियुक्ति के लिए निविदा (मई 2018) जारी करने के बाद, निदेशक मंडल ने निर्णय लिया (अगस्त 2018) कि चूंकि एनटीसी द्वारा प्राप्त किए जाने वाली प्रतिफल की राशि अर्थात् ₹1,413 करोड़ तय की गई थी और महाराष्ट्र सरकार ने हस्तांतरणीय विकास अधिकार की बिक्री को सुगम बनाने पर सहमति व्यक्त की थी, इसलिए प्रशासनिक मंत्रालय

---

[4] ***हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) महाराष्ट्र सरकार को सौंपी गई भूमि के बदले निर्मित क्षेत्र के निर्माण के लिए भूमि के मालिक को महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया एक प्रति पूरक विकास अधिकार है। तत्कालीन मामले में एनटीसी ने अपनी जमीन अभ्यर्पित कर दी और प्रतिफल के रूप में टीडीआर प्राप्त हुआ था। टीडीआर को एनटीसी द्वारा खुले बाजार में किसी भी संभावित बिल्डर/खरीदार को बेचा जा सकता है जो इसे में मुंबई सिटी एरिया (द्वीप शहर) और मुंबई उपनगरीय/विस्तारित उपनगरीय क्षेत्र में निर्मित क्षेत्र के निर्माण के लिए इसका उपयोग कर सकता है।***

[5] ***टीडीआर को "विकास अधिकार प्रमाण-पत्र" (डीआरसी) के रूप में दिया गया था जो एक हस्तांतरणीय परक्राम्य पत्र था और पांच वर्ष की वैधता अवधि के भीतर कानूनी रूप से लागू करने योग्य था (पुनर्वैधीकरण फीस के भुगतान पर अगले पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है)।***

[6] ***(48414.83 x 2.5) + (48414.83 का 20 प्रतिशत प्रोत्साहन) =130720.04***

(वस्त्र मंत्रालय) के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार से हस्तांतरणीय विकास अधिकार की बिक्री करने और एनटीसी को निर्धारित प्रतिफल प्रेषित करने के लिए अनुरोध करना विवेकपूर्ण था। मंत्रालय ने एनटीसी के प्रस्ताव पर सहमति जताई और महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखा (जुलाई 2019) जिसमें यह कहा गया कि चूंकि एनटीसी के पास हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की बिक्री में कोई विशेषज्ञता नहीं थी और उसे केवल एक निश्चित राशि मिलेगी, इसलिए महाराष्ट्र सरकार एनटीसी द्वारा धारित हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की बिक्री की सुविधा प्रदान कर सकती है और एनटीसी को सहमत राशि को शीघ्रता से हस्तांतरित कर सकता है। जबकि हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की बिक्री को अभी तक मूर्त रूप देना शेष था (जून 2021), एमएमआरडीए ने हस्तांतरित भूमि में निर्माण गतिविधियां शुरू कीं।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

i) हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने खुले बाजार में हस्तांतरणीय विकास अधिकार की बिक्री को सुगम बनाने की पेशकश की थी, लेकिन संबंधित पार्टियों अर्थात भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और एनटीसी के बीच 'सुविधा प्रदान करने' का अर्थ न तो विस्तृत था और न सहमति थी। अधिकारियों की उस समिति की सिफारिश के अनुसार महाराष्ट्र सरकार और एनटीसी के बीच विशिष्ट करारों का निष्पादन किया जाना आवश्यक था जिसने भूमि के हस्तांतरण के निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप दिया था और भूमि के हस्तांतरण के लिए भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और एनटीसी के बीच हस्ताक्षरित एमओयू के अनुसार भी था। लेकिन ऐसे किसी विशिष्ट करारों को निष्पादित नहीं किया गया था।

ii) निदेशक मंडल के निर्णय, अर्थात निविदा को समाप्त करने और हस्तांतरणीय विकास अधिकार की बिक्री को महाराष्ट्र सरकार को सौंपने में परिवर्तन का आधार, 'इन-हाउस चर्चाओं' के रूप में उद्धृत किया गया था, जिसमें यह बात सामने आई थी कि एनटीसी को प्राप्त होने वाली प्रतिफल की राशि एक निश्चित राशि थी और इसलिए बिक्री शुरू करना सार्थक नहीं था। यह मान्य नहीं था क्योंकि एनटीसी को केवल एक निश्चित राशि मिलेगी जो पहले से पता थी, जब जनवरी 2018 में निदेशक मंडल द्वारा हस्तांतरणीय विकास अधिकार बिक्री समिति की नियुक्ति की गई थी। इसके अलावा, शुरू से ही महाराष्ट्र सरकार नकद में क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए सहमत नहीं थी और केवल हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की बिक्री की सुविधा की पेशकश की थी। इसलिए महाराष्ट्र सरकार को हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की बिक्री सौंपने के लिए अगस्त 2018 में हुई बैठक में निदेशक मंडल

के संशोधित रुख का महाराष्ट्र सरकार की ओर से सहमति द्वारा समर्थन नहीं किया गया था।

iii) चार वर्षों के लिए हस्तांतरणीय विकास अधिकारों के धारण करने से एनटीसी को कोई लाभ नहीं था जिसमें नकदी की तंगी थी और दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को पूरा करने के साथ-साथ अपनी अन्य रूग्ण मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए निधियो की तत्काल आवश्यकता थी।

इस प्रकार, हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की वसूली न होने से निधि का भारी अवरोधन हुआ और एनटीसी को ₹268 करोड़[7] की परिणामी ब्याज की हानि हुई और आधुनिकीकरण और रूग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार के त्वरित और दक्ष कार्यान्वयन के लिए बिक्री आय के उपयोग के उद्देश्य को भी विफल किया।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (फरवरी 2021) में कहा कि ये बोर्ड के निर्णय थे। प्रबंधन ने यह भी कहा कि वे हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की बिक्री और शीघ्रातिशीघ्र ₹1,413 करोड़ की वसूली के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहे थे।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2021) में कहा कि अगस्त 2018 में एनटीसी बोर्ड ने हस्तांतरणीय विकास अधिकार बिक्री प्रक्रिया को रोकने का निर्णय किया और इसके बजाय महाराष्ट्र सरकार से पूरी कवायद शुरू करने का अनुरोध किया। मंत्रालय ने यह भी कहा कि एनटीसी को कार्यशील पूंजी की अत्यंत कमी का सामना करना पड़ रहा था और इसलिए हस्तांतरणीय विकास अधिकार राशि की वसूली करने के लिए गंभीर प्रयास कर रहा था।

उत्तर पर इस तथ्य के प्रति विचार किया जाना है कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोई पूर्व करार या ऐसी सहमति नहीं थी कि वे एनटीसी की ओर से हस्तांतरणीय विकास अधिकार को बेचेंगे और सहमत राशि एनटीसी को सौंप देंगे।

लेखापरीक्षा ने महाराष्ट्र सरकार के अभिलेखों की भी जांच की और हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की बिक्री की प्रक्रिया में महाराष्ट्र सरकार की भूमिका के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा (अप्रैल 2021)। महाराष्ट्र सरकार (शहरी विकास विभाग) ने उत्तर दिया (मई 2021) कि जून 2017 में एनटीसी द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार, एमएमआरडीए ने

---

[7] ***38 महीनों (अप्रैल 2018 से मई 2021) के लिए ₹1,413 करोड़ पर 6 प्रतिशत की दर मानते हुए और बिक्री के लिए प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक वर्ष (अप्रैल 2017 से मार्च 2018) की अनुमति देने के बाद, रूढ़िवादी आधार पर ब्याज।***

हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की बिक्री के लिए एनटीसी द्वारा गठित समिति में दो अधिकारियों को नामित किया। महाराष्ट्र सरकार ने आगे स्पष्ट किया कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां महाराष्ट्र सरकार ने खुले बाजार में हस्तांतरणीय विकास अधिकार बेचे हों और लाभार्थी को आय का भुगतान किया हो।

इसलिए यह स्पष्ट है कि एनटीसी उन्हें हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की बिक्री का कार्य देने से पहले महाराष्ट्र सरकार से सहमति प्राप्त करने में विफल रहा। एनटीसी द्वारा चार वर्षों तक हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की बिक्री के लिए सकारात्मक कार्रवाई की कमी के परिणामस्वरूप ₹1,413 करोड़ की वसूली नहीं हुई और ₹268 करोड़ के ब्याज की परिणामी हानि हुई। हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की राशि की वसूली में देरी ने रूग्ण इकाइयों के आधुनिकीकरण और पुनरुद्धार के त्वरित और दक्ष कार्यान्वयन के लिए एनटीसी द्वारा बिक्री आय के अभिप्रेत उपयोग के उद्देश्य को भी विफल किया।